फायर एनओसी को लेकर सीएम रूपाणी का अहम निर्णय

9 मीटर ऊंची शैक्षणिक इमारतों को अब फायर एनओसी से छूट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

गांधीनगर. फायर एनओसी (अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र) को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को अहम निर्णय किया है। रूपाणी ने कहा कि ऐसी इमारतें जिनकी ऊंचाई 9 मीटर या उससे कम है। उनमें तलघर (बेसमेंट) नहीं हैं। ऐसी इमारतों में चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को अब फायर एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्दिष्ट नियमानुसार फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उसके बाद उन्हें फायर एनओसी से जुड़ा स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) संबंधित नगर, शहर या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को राज्य में फायर सेफ्टी को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चर्चा के बाद यह घोषणा की।

इस बैठक में शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश पुरी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम के दास एवं फायर तथा शहरी विकास विकास के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल गुजरात में स्कूल, अस्पताल सहित रिहायशी, कॉमर्शियल और सरकारी इमारतों में फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है।

सेफ्टी नियम पूरे तो बीयू जरूरी नहीं!

सीएम ने एक और अहम निर्णय किया है, जिसके तहत यदि कोई इमारत फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों को पूरा करती है। तो उसे फायर एनओसी पाने के लिए उस इमारत के पास बिल्डिंग-यूज परमिशन (बीयू) होनी जरूरी नहीं है। दरअसल राज्य में कई मामलों में सामने आया है कि इमारत ने फायर एनओसी के सभी प्रावधान पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन बावजूद उसके बीयू परमिशन न होने के चलते ऐसी इमारतों को फायर एनओसी नहीं दी जाती है। बिल्डिंग यूज (बीयू) परमिशन नहीं मिलने के कई अन्य कारण हो सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से अग्निशमन सेवाओं के निदेशक को स्पष्टता करते हुए कहा गया है कि फायर एनओसी देने पूर्व बीयू परमिशन की आवश्यकता होती है। यानि जहां बीयू परमशीन न हो लेकिन फायर एनओसी के नियम पूरे हो रहे हैं वहां फायर एनओसी के लिए बीयू परमशीन अनिवार्य नहीं होगी।

वडोदरा. फायर एनओसी नहीं होने पर एक निजी अस्पताल को सील किया गया।

राज्य में अब 14 फायर रीजन

अब राज्य में अब 14 फायर रीजन कार्यरत होंगे। जिसके तहत अभी आठ महानगरों- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर, गांधीनगर के अलावा रीजनल कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपालिटीज कार्यालय के कार्य के क्षेत्र यानि अहमदाबाद, सूरत,वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट और भावनगर सहि छह नए फायर रीजन बनेंगे। जिससे राज्य में कुल 14 फायर रीजन कार्यरत होंगे। इन फायर रीजन के फायर ऑफिसरों को आईएएसस्तर के अधिकारी कि जो प्रादेशिक मनपा आयुक्त के तहत कार्यरत होंगे उनके मातहत कार्य करना होगा।

मनपा फायर ऑफिसर देंगे शहरी प्राधिकरण क्षेत्रों को एनओसी

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह भी निर्णय किया है कि शहरी विकास प्राधिकरण वाले क्षेत्रों के लिए संबंधित महानगरपालिका के मुख्य अग्निशमन अधिकारी फायर एनओसी देंगे। नगरपालिका क्षेत्रों में नगरपालिका के अग्निशमन अधिकारी फायर एनओसी देंगे। इसके अधिकार उन्हें दिए जाएंगे। इसके चलते नगरों में लोगों को जल्द फायर एनओसी मिल सकेगी।

33 00 APR 2021

To

The Regional Fire Officer
Gandhidham
Kutch – Gujarat

Sub: Issuing Fire Safety Certificate for Vidyalaya – Reg

Sir / Ma'am

This is with reference to the subject mentioned that the school - **Kendriya Vidyalaya Railway, Gandhidham**, is following all the Fire Safety norms and also we have kept the Fire Safety Equipment installed at different places in the Vidyalaya. Total 11 fire extinguishers are installed at different places in the Vidyalaya The total land area of the Vidyalaya is 57521.53 Sq Metres.

This is to request to issue the Fire Safety Certificate for the school, Kendriya Vidyalaya Railway, Gandhidham. The required application and photographs and map of land and building are attached.

Principal
30/4/2021

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalay
रेल्वे का., Rly. Colony
गाधीधाम / Gandhidham-370201

ચલણ નં.- 15

ગાંધીધામ ખાતેની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરેલી રોકડ રકમનું ચલણ

નાણાં મોકલનારે ભરવાનું		
જેના તરફથી નાણા ભરવામાં આવ્યા હોય તે વ્યક્તિનું નામ(અથવા હોદ્દો)અને સરનામું	રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસર સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસીસ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટર , વો----------ર્ડ નં. ૬, રાજવી રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે ,એરપોર્ટ રોડ, ગાંધીધામ KENDRIYA VIDHYALAY	માંગણા નંબર. ૯૯ મુખ્ય સદર :-૦૦૭૦ અન્ય વહીવટી સેવાઓ પેટા મુખ્ય સદર :- ૬૦ અન્ય સેવાઓ ગૌણ સદર :-૧૦૯ આગ રક્ષણ અને તેનું નિયંત્રણ પેટા સદર :- ૦૦ આગ રક્ષણ અને તેનું નિયંત્રણ
RAILWAY COLONY , GANDHIDHAM જીલ્લા – કચ્છ ની ફાયર એન.ઓ.સી. ઇન્સ્પેક્શન ની ફી એસ.બી.આઇ.બેંક ગાંધીધામ ખાતે રકમ જમા કરાવવી	રકમ ૩ ૨૫૦૦/-	
કુલ શબ્દોમાં (અંકે રૂપિયા બે હજાર પાંચસો પુરા)	રૂ. ૨૫૦૦/-	નાયબ હિસાબનીશ પ્રાદેશિક ફાયર કચેરી ગાંધીધામ-કચ્છ.

State Bank of India (00373) GANDHIDHAM 30 APR 2021 CASH/TRANSFER

INDIA NON JUDICIAL

Government of Gujarat

Certificate of Stamp Duty

सत्यमेव जयते

NOTARY
SAPNA D. DADLANI
REGD NO. 7916/2010
GANDHIDHAM
KACHCHH
GUJARAT STATE
INDIA
GOVT. OF INDIA

Certificate No.	:	IN-GJ45579341240146T
Certificate Issued Date	:	27-Apr-2021 12:27 PM
Account Reference	:	IMPACC (AC)/ gj13249911/ GANDHIDHAM/ GJ-BJ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-GJGJ1324991127062313678797T
Purchased by	:	DINESH RAWAL
Description of Document	:	Article 14 Bond
Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	KENDRIYA VIDYALAYA RAILWAY GANDHIDHAM
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	KENDRIYA VIDYALAYA RAILWAY GANDHIDHAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	300 (Three Hundred only)

NOTARY
SAPNA
D. DADLANI
Area Gandhidham-Kutch
Regd. No. 7916/2010
GUJARAT-INDIA
Expiry Date
12-05-2025
GOVT. OF INDIA

SAPNA D. DADLANI
GANDHIDHAM
NOTARY

27 APR 2021 LB 0020395492

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

FORM B15

(See sub-rule (2) of rule 26)

Certificate for compliance of Fire Prevention and Life Safety Measures.

Certified that I have executed the works towards compliance in relation to Fire Prevention and Life Safety Measures to be provided and performed other related activities required to be carried out, in the following building or premises, as required under the provisions of the Gujarat Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2013 (Guj.11 of 2013).

Description and Location of Building or Premises

KENDRIYA VIDYALAYA RAILWAY GANDHIDHAM
RAILWAY COLONY GANDHIDHAM

Tile details of the work and related activities which I or we have executed or performed are mentioned in the list appended herewith.

Place : Signature and Address of the Fire Safety Officer.

Date : Licence No

Signature of the occupier and the owner

[Note. - For each building a separate certificate is be necessary].

NOTARY
SAPNA D. DADLANI
Area Gandhidham-Kutch
Regd. No. 7916/2010
GUJARAT-INDIA
Expiry Date
1 -05-2025
GOVT. OF INDIA

GANDHIDHAM

Identified & Explained by me

Dinesh R Ranal
Railway Colony
Gandhidham

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
रेल्वे का., Rly. Colony
गांधीधाम / Gandhidham-370201

ATTESTED

(SAPNA D. DADLANI)
NOTARY - GOVT. OF INDIA
At.: GANDHIDHAM-KUTCH
Sr. No.: 2754 / 2021
Date : 27/4/2021

27 APR 2021